

हमारा प्रयास - आपका आवास

IS 15700-2018



सर्वोपयोग प्रमाणपत्र



आजादी का
अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओबरी योजना, सेक्टर-5, बाराबंकी में स्व-वित्तपोषित योजनान्तर्गत 37/60 प्रकार के फिनिशड भवन प्राप्त करने का

सुनहरी अवसर



ऑनलाइन पंजीकरण तिथि : 15.08.2022 से 15.10.2022 तक

भवनों का विवरण

योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार एवं भवनों की श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)		पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि समायोजन उपरान्त एक माह के अन्दर भुगतान योग्य धनराशि (₹ लाख में)		अवशेष धनराशि 5 समान त्रैमासिक किरातों में (₹ लाख में)	
						सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
ओबरी योजना, बाराबंकी सेक्टर-5	स्व-वित्तपोषित अल्प आय वर्ग (37/60) फिनिशड	42	27.00	60.59	26.51	2.65	1.33	4.01	5.33	3.97	3.97

टेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ540217

टेरा की वेबसाइट : www.up-rera.in

नियम व शर्तें:

- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किरत की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाए की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसके लिए आवंटित स्वयं उत्तरदायी होगा।
- प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदनों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति रोश रह जाती है तो किरतों पर प्राप्त आवेदनों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जाएगी।
- आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जाएगी।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट अनुभव होगी।

नोट

- पंजीकरण हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा। किसी विषय अथवा वाद-विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- भवनों का मौलिक कब्जा 30.06.2024 से पूर्व दिया जाना प्रस्तावित है।
- पंजीकरण आवेदन शुल्क ₹1000 जी.एस.टी. सहित ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

बैंक का नाम - एच.डी.एफ.सी.

शाखा :- 4099, दर्शन एन्क्लेव, सिविल लाइन्स, फैजाबाद

श्री अभय प्रताप सिंह 7607967747

श्री प्रमोद कुमार सिंह
अधीक्षण अभियंता,
अयोध्या वृत्त
8795810173

श्री आर.टी. यादव
अधीक्षण अभियंता,
गोरखपुर जोन
8795810092

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
अधीशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, अयोध्या-1, अयोध्या
8795810169

श्री सुकेश पाठक
सम्पत्ति प्रबंधक,
अयोध्या
8795810970

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
1800-180-533 (टोल-फ्री) **0522-2236803**

या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।